



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227300
CG-DL-E-01062021-227300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 1941]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISTHA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2092(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4531(अ) तारीख 08 दिसंबर, 2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 14 दिसंबर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28.12.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : चित्तूर				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. कोना	कलकड	1 1	00	04
2			1 2	00	08
3			1 38	00	08
4			1 66	00	31
5			7 83	00	34
6			2 91	00	15
7	2. रतिगुंठपल्ले	कलकड	2 88	00	05
8	3. नवबपेटा	कलकड	1 9	00	06
9			1 80	00	04
10			1 91	00	01
11			1 86	00	16
12	4. मुडियमवारिपल्ले	कलकड	2 58	00	03
13			1 97	00	03
14			3 00	00	02
15			4 70	00	30
16			1 94	00	16

1	2	3	4	5	6
17	5. नगारिमडुगु	वायलपाडु	324बी	00	04
18			325बी	00	02
19			528	00	03
20			721	00	02
21	6. चिंतपर्ति	वायलपाडु	36	00	05
22	7. चिंतलवारिपल्ले	वायलपाडु	210	00	01
23			389	00	25
24	8. अर्मडक	वायलपाडु	9	00	01
25			81	00	25
26			333	00	08
27			331	00	03
28	9. मस्तुर	निम्मनपल्ले	1459	00	03
29			1461	00	51
30			203	00	03
31			1263	00	11
32			1267	00	17
33			1292	00	02
34			1337	00	02
35			1741	00	13
36			230	00	08
37	10. रेड्डीवारीपल्ले	निम्मनपल्ले	1381	00	05
38			1378	00	02
39			1239	00	01
40			1117	00	01
41	11. बंडलपै	निम्मनपल्ले	385	00	03
42			386	00	03
43	12. दीगुवापल्ली	चैडेपल्ली	14	00	01
44			15	00	02
45			296	00	27
46			400	00	13
47			401	00	21
48			431	00	05
49			432	00	12
50	13. कागती	चौडेपल्ली	16	00	15

1	2	3	4	5	6
51			24	00	07
52			26	00	05
53	14. काटिपेरी	चौडेपल्ली	8	00	45
54			147	00	04
55			181	00	12
56			297	00	02
57	15. बड्डमदोड्डी	पेदपंजानी	327	00	28
58	16. गुंडुगल्लु	गंगावरम	169	00	17
59	17. पसुपत्तुर	गंगावरम	2	00	20
60			34	01	10
61	18. देवादोड्डी	बैरेड्डीपल्ले	123	00	31
62			546	00	18
63			547	00	07
64	19. गोल्लचेमन पल्ले	बैरेड्डीपल्ले	128	00	10
65			228	00	12
66			15	00	13
67			89	00	04
68			122	00	02
69			222	00	10
70			364	00	02
71	20. तीर्थम	बैरेड्डीपल्ले	1136	00	31
72	21. लक्कनपल्ले	बैरेड्डीपल्ले	414	00	20
73			417	00	02
74			292	00	05
75	22. कैगल्लु	बैरेड्डीपल्ले	50	00	40
76	23. तोटा कनुम	वि.कोटा	252	00	20
77			254	00	01
78			267	00	34
79			268	00	01
80			507	00	13
81			508	00	35
82	24. कण्णापुरम	वि.कोटा	1017	00	01
83			1023	00	16
84			538	00	12
85			1067	00	46
86			1070	00	14

1	2	3	4	5	6
87	25. बोडीगुड्डपल्ले	वि.कोटा	450	00	06
88	26. पम्मगानीपल्ले	वि.कोटा	601	00	02
89			623	00	26
90	27. बंदारलपल्ले	रामकुप्पम	686	00	41
91			685	00	16
92	28. रामकुप्पम	रामकुप्पम	337	00	17
93	29. मनींद्रम	रामकुप्पम	58	00	03
94	30. अम्मवारिपेटा	शान्तिपुरम	6	00	05
95			9	00	19
96	31. वेट्टीरीकोत्तुरु	शान्तिपुरम	9	00	03
97			36	00	09
98	32. रेडलापल्ले	शान्तिपुरम	33	00	07
99	33. वेदुगुड्डपल्ले	शान्तिपुरम	68	00	03
100	34. बेग्गीलापल्ले	गुडीपल्ले	20	00	15
101			22	00	07
102	35. गोकलपल्ले	गुडीपल्ले	31	00	02

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2017-ओआर-I/ई 18464]

पी. सोमा कुमार, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2092(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4531(E) dated the 8th December, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 14th December, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 28.12.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Chittoor				State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1.Kona	Kalakada	11	00	04
2			12	00	08
3			138	00	08
4			166	00	31
5			783	00	34
6			291	00	15
7	2.Ratiguntapalle	Kalakada	288	00	05
8	3.Nawabpet	Kalakada	19	00	06
9			180	00	04
10			191	00	01
11			186	00	16
12	4. Mudiamvaripalle	Kalakada	258	00	03
13			197	00	03
14			300	00	02
15			470	00	30
16			194	00	16
17	5. Nagarimadugu	Vayalpad	324B	00	04
18			325B	00	02
19			528	00	03

1	2	3	4	5	6
20			721	00	02
21	6.Chintaparthi	Vayalpad	36	00	05
22	7.Chinthalavaripalle	Vayalpad	210	00	01
23			389	00	25
24	8.Aramadaka	Vayalpad	9	00	01
25			81	00	25
26			333	00	08
27			331	00	03
28	9. Mastur	Nimmanapalle	1459	00	03
29			1461	00	51
30			203	00	03
31			1263	00	11
32			1267	00	17
33			1292	00	02
34			1337	00	02
35			1741	00	13
36			230	00	08
37	10.Reddivaripalle	Nimmanapalle	1381	00	05
38			1378	00	02
39			1239	00	01
40			1117	00	01
41	11.Bandlapai	Nimmanapalle	385	00	03
42			386	00	03
43	12. Diguwapalle	Chowdepalle	14	00	01
44			15	00	02
45			296	00	27
46			400	00	13
47			401	00	21
48			431	00	05
49			432	00	12
50	13.Kogathi	Chowdepalle	16	00	15
51			24	00	07
52			26	00	05
53	14. Katiperi	Chowdepalle	8	00	45
54			147	00	04

1	2	3	4	5	6
55			181	00	12
56			297	00	02
57	15. Battamadoddi	Peddapanjani	327	00	28
58	16.Gundugallu	Gangavaram	169	00	17
59	17.Pasupathur	Gangavaram	2	00	20
60			34	01	10
61	18.Devadoddi	Baireddipalle	123	00	31
62			546	00	18
63			547	00	07
64	19.Gollachemana Palle	Baireddipalle	128	00	10
65			228	00	12
66			15	00	13
67			89	00	04
68			122	00	02
69			222	00	10
70			364	00	02
71	20.Theertham	Baireddipalle	1136	00	31
72	21.Lakkanapalle	Baireddipalle	414	00	20
73			417	00	02
74			292	00	05
75	22.Kaigallu	Baireddipalle	50	00	40
76	23.Thota Kanuma	V.Kota	252	00	20
77			254	00	01
78			267	00	34
79			268	00	01
80			507	00	13
81			508	00	35
82	24. Krishnapuram	V.Kota	1017	00	01
83			1023	00	16
84			538	00	12
85			1067	00	46
86			1070	00	14
87	25. Bodiguttapalle	V.Kota	450	00	06
88	26.Pamuganipalle	V.Kota	601	00	02
89			623	00	26

1	2	3	4	5	6
90	27. Bandarlapalle	Ramakuppam	686	00	41
91			685	00	16
92	28. Ramakuppam	Ramakuppam	337	00	17
93	29. Manedram	Ramakuppam	58	00	03
94	30. Ammavaripeta	Shanthipuram	6	00	05
95			9	00	19
96	31. Vetagirikothur	Shanthipuram	9	00	03
97			36	00	09
98	32. Redlapalle	Shanthipuram	33	00	07
99	33. Veduruguttapalle	Shanthipuram	68	00	03
100	34. Beggilipalle	Gudupalle	20	00	15
101			22	00	07
102	35. Gokaralapalle	Gudupalle	31	00	02

[F. No. R-11025(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2093(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.1014(अ) तारीख 26 परवरी, 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 4 मार्च, 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 08.03.2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : कृष्ण				राज्य : आन्ध्र	
प्रदेश					
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. कवलूरु	जि. कोंडूरु	36/2बी3ए	00	01
2			36/2बी1	00	01
3			10/2बी	00	01
4			55/2ए	00	19
5	2. गड्डमनगु	जि. कोंडूरु	191/1	00	05
6	3. चरवु माधवरम	जि. कोंडूरु	160/1बी	00	03
7			160/1सी	00	02
8			136/3सी3	00	01
9			133/3	00	01
10	4. मूनगपाडु	जि. कोंडूरु	164	00	01
11			111/1बी2सी	00	01
12			119	00	03
13	5. सुन्नंपाडु	जि. कोंडूरु	126	00	01
14			123	00	01
15			115/2बी2	00	05
16			86/2बी	00	03
17			86/2ए2	00	02
18	6. तल्लदेवरपाडु	जि. कोंडूरु	37	00	08
19			13/1	00	02
20	7. दुगिरालपाडु	जि. कोंडूरु	155/2ए	00	02
21			140	00	27
22			141/1	00	07

1	2	3	4	5	6
23			133	00	10
24			82/2	00	02
25	8. लक्ष्मीपुरम	विठ्ठलपाडु	36/1ए	00	04
26	9. तोट्टाबुलपाडु	चंदरलपाडु	32/5	00	02
27			29/1	00	02

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2017-ओआर-I/ई-18464]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2093(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.3293(E) dated the 26th February, 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 4th March, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 08.03.2021.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Krishna				State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1.Kavuluru	G.Konduru	36/2B3A	00	01
2			36/2B1	00	01
3			10/2B	00	01
4			55/2A	00	19
5	2.Gaddamanugu	G.Konduru	191/1	00	05
6	3.Chervu Madhavaram	G.Konduru	160/1B	00	03
7			160/1C	00	02
8			136/3C3	00	01
9			133/3	00	01
10	4.Munagapadu	G.Konduru	164	00	01
11			111/1B2C	00	01
12			119	00	03
13	5.Sunnampadu	G.Konduru	126	00	01
14			123	00	01
15			115/2B2	00	05
16			86/2B	00	03
17			86/2A2	00	02
18	6.Talladevarapadu	G.Konduru	37	00	08
19			13/1	00	02
20	7.Duggiralapadu	G.Konduru	155/2A	00	02
21			140	00	27
22			141/1	00	07
23			133	00	10
24			82/2	00	02
25	8.Lakshmipuram	Virullapadu	36/1A	00	04
26	9.Totaravulapadu	Chandarlapadu	32/5	00	02
27			29/1	00	02

[F. No. R-11025(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.